न्यायालय–रिविजन प्राधिकार–सह–प्रधान सचिव

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना

रिविजन वाद संख्या–वन मु०(री०)–09 / 2022

अमित कुमार, रोहतास बनाम बिहार राज्य एवं अन्य

आदेश

यह रिविजनवाद अमित कुमार, पिता–नन्द किशोर सिंह, मो0–गाँधीनगर सासाराम, थाना–सासाराम, जिला–रोहतास द्वारा वन अधिहरण वाद सं0–01 / 2022 में समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, रोहतास द्वारा दिनांक–11.07.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

वाद की संक्षिप्त विवरण यह है कि दिनांक–26.11.2020 को श्री ललन मोची, वनपाल, दरिगाँव वन परिसर, सासाराम वन प्रक्षेत्र सहयोगी, वनकर्मी एवं सशस्त्र बल के साथ सासाराम वन प्रक्षेत्र में हो रहे अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु सुरक्षित वन क्षेत्र में गस्ती के क्रम में रात्रि समय लगभग 3:40 बजे (दिनांक–27.11.2020) घटना स्थल अमरी सुरक्षित वन क्षेत्र पहुँचने पर वाहन जे0सी0बी0 ट्रैक्टर न्यू हॉलेण्ड 5500, इंजन नं0–0–184292 DT के माध्यम से पास में खड़े अन्य वाहन (1) हाइवा ट्रक (10 चक्का) निबंधन संख्या– अंकित नहीं, चेचिस नं0– MAT448074D.3E, 51962 एवं (2) हाइवा ट्रक (10 चक्का) निबंधन संख्या– अंकित नहीं, चेचिस नं0– MAT448074D.3E, 51917 पर पत्थर मेटल लोड करते हुए पाया गया। वन गश्ती दल को अपने समक्ष आते देखकर उपरोक्त वाहनों के चालक अपने वाहन को छोड़कर भागने में सफल रहे। दोनों वाहन (हाईवा) के डाला में लदा पत्थर मेटल के जाँचोपरांत पाया गया कि अमरी सुरक्षित वन क्षेत्र से अवैध उत्खनित एवं रूपांतरित पत्थर मेटल लोड है। वाहनों पर लदे पत्थर मेटल के परिवहन से संबंधित कोई भी वैद्य कागजात वाहन की तलाशी के क्रम में नहीं पाया गया।

तदोपरांत वाहन वाहन (1) हाइवा ट्रक (10 चक्का), रंग पीला, निबंधन संख्या– अंकित नहीं, चेचिस नं0– MAT448074D.3E, 51962 एवं (2) हाइवा ट्रक (10 चक्का), रंग सफेद डाला रंग ब्लू, निबंधन संख्या– अंकित नहीं, चेचिस नं0– MAT448074D.3E, 51917 (3) जे0सी0बी0

ट्रैक्टर न्यू हॉलेण्ड 5500, इंजन नं0–0–184292 DT एवं (4) महेन्द्रा स्कॉर्पियो S10, रंग सफेद, निबंधन संख्या– BR-01-PH-3785 को अमरी सुरक्षित वन क्षेत्र के अवैध उत्खनित एवं रूपांतरित पत्थर के अवैध खनन / संग्रहण एवं परिवहन में संलिप्त पाये जाने के कारण भारतीय वन (बिहार संशोधन 1990) अधिनियम, 1927 की धारा–33, 41 एवं 42 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा–186 एवं 189 के उल्लंघन के आरोप में धारा–52 के तहत जप्त कर घटना स्थल पर जप्ती सूची तैयार किया गया तथा भारतीय वन (बिहार संशोधन 1990) अधिनियम, 1927 की धारा–64 के तहत गिरफ्तार अभियुक्त (स्कॉर्पियों के वाहन स्वामी) को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

जप्त न्यायालय प्रदर्श को सासाराम वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर के सामने पक्की रोड के दक्षिणी छोर पर सुरक्षार्थ हेतु रखा गया है। जप्ती सूची की एक प्रति मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, रोहतास (सासाराम) को देते हुए उसकी द्वितीय प्रति प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम के न्यायालय में समर्पित की गयी है।

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, सासाराम वन प्रक्षेत्र के अनुरोध पर धारा–52(3) के तहत उपरोक्त प्रासंगिक जप्त वाहन (हाईवा ट्रक / जे0सी0बी0 / स्कॉर्पियो) एवं पत्थर मेटल पर प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम के अधिहरण न्यायालय में अधिहरण वाद संख्या–99 / 2020 (A+B) की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

अधिहरण न्यायालय द्वारा वाद की सुनवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रि० अपील संख्या–668 / 2000, कर्नाटक सरकार बनाम के० कृष्णन, सिविल अपील संख्या–991 / 2002 बंगाल राज्य एवं अन्य बनाम महुआ सरकार, उच्च न्यायालय, पटना द्वारा मनोज कुमार शर्मा बनाम बिहार राज्य [2004(16)AIC528] तथा उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दीपक कुमार बनाम झारखंड राज्य में दिये गये Order/Observations एवं दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क / दलीलों एवं अभिलेखों के आधार पर जप्त वाहन (1) हाइवा ट्रक (10 चक्का), रंग पीला, निबंधन संख्या– अंकित नहीं, चेचिस नं0– MAT448074D.3E, 51962 एवं उसके डाला में लगा 800 घनफुट 40 एम.एम. पत्थर मेटल (2) हाइवा ट्रक (10 चक्का), ईजन रंग सफेद, डाला रंग ब्लू, निबंधन संख्या– अंकित नहीं, चेचिस नं0– MAT448074D.3E, 51917 एवं उसके डाला में लदे 800 घनफुट 40 एम.एम. पत्थर मेटल को अवैध खनन एवं अवैध परिवहन में संलिप्त

रहने का अभियोग प्रमाणित होने पर भारतीय वन (बिहार संशोधन, 1990) अधिनियम, 1927 की धारा–52(3) में निहित वैधानिक प्रावधानों के तहत सभी दायित्वों से मुक्त करते हुए बिहार सरकार के पक्ष में अधिहरित किया गया।

प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम के अधिहरण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के विरूद्ध रिविजनकर्ता द्वारा समाहर्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के अपीलीय न्यायालय में वन अधिहरण वाद संख्या–01/2022 दायर किया गया। उक्त वाद में सुनवाई करते हुए समाहर्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, रोहतास द्वारा दिनांक–11.07.2022 को आदेश पारित करते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।

अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक–11.07.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध रिविजनकर्ता द्वारा 17.10.2022 को रिविजन न्यायालय में रिविजन याचिका दायर किया गया, जिसके आधार पर वन मु०री०–09/2022 प्रारंभ किया गया है।

समाहर्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, रोहतास (सासाराम) द्वारा वन अधिहरण वाद संख्या–01/2022 में दिनांक–11.07.2022 को पारित आदेश, प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) द्वारा अधिहरण वाद संख्या–99/2020 (A+B) में दिनांक–01.02.2021 को पारित आदेश, प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित प्रतिउत्तर उभय पक्षों द्वारा दाखिल कागजात एवं बहस से निम्नलिखित बिन्दु स्पष्ट होते हैं–

1. रिविजनकर्ता के वाहन (1) हाइवा ट्रक (10 चक्का), रंग पीला, निबंधन संख्या–अंकित नहीं, चेचिस नं0– MAT448074D.3E, 51962 एवं (2) हाइवा ट्रक (10 चक्का), रंग सफेद डाला रंग ब्लू, निबंधन संख्या–अंकित नहीं, चेचिस नं0– MAT448074D.3E, 51917 तथा उसपर लदे पत्थर मेटल को अमरी अधिसूचित सुरक्षित वन क्षेत्र के अवैध उत्खनित एवं रूपांतरित पत्थर मेटल के अवैध परिवहन में संलिप्ता रहने के कारण जप्त किया गया है।

2. गश्ती दल को अपने समक्ष आते देखकर वाहनों के चालक वाहन को छोड़कर भागने में सफल रहे। वाहनों पर लदे पत्थर मेटल के परिवहन से संबंधित कोई भी वैद्य कागजात वाहन तलाशी क्रम में नहीं पाया गया।

3. जप्ति सूची में जप्ती का समय दिनांक–27.11.2020, 3:40 AM अंकित है, जबकि कारण पृच्छा के साथ दाखिल खनिज परिवहन चालान की छायाप्रति में दोनों वाहनों में समय दिनांक–27.11.2020, 11:22:23 AM एवं 11:19:56 AM अंकित है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि वाहन के जप्ती के बाद येन–केन–प्रकारेण खनिज परिवहन चालान बनाकर कारण पृच्छा के समय दाखिल किया गया है।

उक्त आधार पर रिविजनकर्ता के रिविजन आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। सभी संबंधितों को सूचित करें।

ह0/–
27.03.2025
(बन्दना प्रेयषी)
सचिव–सह–रिविजनल प्राधिकार

लेखापित एवं संशोधित
ह0/–
(बन्दना प्रेयषी)

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–09/2022................/प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक–................

प्रतिलिपि– श्री अमित कुमार, पिता–श्री नन्द किशोर सिंह, मो0–गांधीनगर सासाराम, थाना–सासाराम, जिला–रोहतास, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–09/2022................/प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक–................

प्रतिलिपि– जिला दण्डाधिकारी, रोहतास /वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–09/2022 1568/प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक– 02/4/25

प्रतिलिपि– विभागीय आई.टी. मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/4/25
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी